

## कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

website: [www.education.rajasthan.gov.in/elementary](http://www.education.rajasthan.gov.in/elementary)

### ::कार्यालय आदेश:


राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:- एफडी(गुप-2)/76 जयपुर दिनांक 11.06.1984, 18.08.1989 व 02.05.1998 एवं संशोधित आदेश No. F10(4) FD Rules/76 Dated 12 September 2008 एवं संशोधित आदेश No.F6(6) FD/ Rules/2010 Dated 25-04-12 के प्रावधानुसार राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बीकानेर द्वारा जारी प्रमाणपत्र तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बीकानेर की अभिशंषा पर श्री विजय रतन स्वामी, अध्यापक राप्रावि छात्र नापासर जिला बीकानेर को कार्यालय में पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने की दिनांक 21.11.2019 से Rajasthan Civil Service (Revised Pay) Rules, 2012 के अन्तर्गत उनके मूल वेतन का 6 प्रतिशत किन्तु 600/- रुपये (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं का मासिक में विकलांग भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

श्री विजय रतन स्वामी, अध्यापक को यह भत्ता अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश दशहरा, दीपावली अवकाश, कार्यभार संभालने हेतु मिलने वाले समय तथा निलम्बन अवधि के लिए देय नहीं होगा।

आज्ञा से  
निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा, विभाग एवं  
पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा)  
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शि.सं./एफ-4/1056/वि.भत्ता/बीकानेर मण्डल/19/ दिनांक: 29.11.2019  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर को रजिस्टर्ड डाक से सलंग्न मूल डिजिटल विकलांग प्रमाण पत्र सहित।
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीकानेर जिला बीकानेर।
3. श्री विजय रतन स्वामी, अध्यापक राप्रावि छात्र नापासर जिला बीकानेर।
4. रक्षित पत्रावली।

  
उपनिदेशक  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर